

673. 1977. 7-16. 2000' - 2200'.  
Slope, open forest.

150

दृष्टिकोण टप्पड़न  
साहेत आयुक्त एवं सचिव  
जल्लीर प्रदेश शासन।

३४८

सिलाधिकारी  
इत्याहावद

સાહિત્ય અભિવિજન - ૧

लक्ष्मीनाथ देवदत्त के लिए यह अवधि बहुत लंबी है।

विषय: वायरल विभाग हाल की जांच के दौरान एक अप्रैल की तिथि

目次

उमर्युदत विषयक आपके पत्र संख्या-230/ जानवा-नोटरस्टॉट/2008-09 दिनांक 10 जुलाई, 2008 के कग में मुख्य सचिव उस्तर प्रदान शासन की अधिकता से भारत सर्वोच्च आजादी वाले सभी की बैठक दिनांक 20 जूनात 2008 के दौरान विभिन्न होमलॉक के मुझे कहने का गिरेश हुआ है कि राजस्व विभाग द्वारा क्षय की गई 03 मोटर बोट इस स्पर्सन द्वारा धन्यार्थी रु0 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मर्फ) की धनरक्षण श्री रज्जुपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखने की स्थीकरि सहज प्रदान दर्शाते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के कलेस्टरॉल होने वाला व्यय चालू इत्तीय वर्ष 2008-09 के अग्र-व्ययक के अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखार्थीसंबंधिक "2245-प्राकृतिक दिवसित्यों के कारण राहत-आयोजनत्तर- ०५-आपदा राहत निधि-८००-अ-८ छ-१३- राहत-आयोजनिये से व्यट-४२-अन्य व्यय" का दस्तावेज़ जुटाया।

3. उक्त एवीकूट धनराशि राजस्व विभाग द्वारा कदम ले रखा यह यहाँ मोटर वाहन की सरक्षण पर ही व्यवहार की जायेगी। उक्त मोटरबोट की सरमत का कार्ड स्थानीय रहने वाले दिक्षुदाम्भिक डिट्रियुन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित संतुलन के अनुसार फिर लायेगा।

५. इसने द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भालित हों तो उन्हें ई-एफ 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अंत में अपर्दन कर दिया जाय।

६. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र दित्तीय हस्तापुरितका ग्रन्ड -५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -४२ आई में शासन को दुन्त उपलब्ध कराया जाय।

७. व्यय की धनराशि का भालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुरस्कारन वराया जाए और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

( जी०के० टण्डन )  
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : ३५ ३५ / १-१०-२००८-१४(२३) / २००४ तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ०प्र० इलाहाबाद।
२. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
३. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
४. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
५. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
६. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५।
७. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-१०/राजस्व अनुभाग-६/११/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
८. वित्तीय वर्ष २००८-०९ की धनादेन पत्रादर्ती ने रखने हुए।
९. गाड़ बुक।

१०८

राहत  
आयुक्त